न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:– 06/2024

जी.सी.एम.एस नं.– 2024/9

करनैलसिंह पुत्र सुरेणसिंह जाति रायसिख निवासी चक 32 एपीडी तहसील अनूपगढ़ जिला जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––वादी

बनाम्

1. गुरचरणसिंह पुत्र सुरेणसिंह जाति रायसिख निवासी चक 32 एपीडी तहसील अनूपगढ़ जिला जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. दर्शनसिंह पुत्र सुरेणसिंह जाति रायसिख निवासी चक 32 एपीडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. बलदेवसिंह पुत्र सुरेणसिंह जाति रायसिख निवासी चक 32 एपीडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. सुखदेवसिंह पुत्र सुरेणसिंह जाति रायसिख निवासी चक 32 एपीडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–––––प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित–

1. श्री सोमदत कचोरिया एडवोकेट वादीग की ओर से
2. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट प्रतिवादी सं.–1 व 4 की ओर से
3. श्री रमेश सोलकी एडवोकेट प्रतिवादी सं.–2 व 3 की ओर से

–:: निर्णय ::– **दिनांक:–** 25/02/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि चक 32 एपीडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–20 पत्थर नं.–336/406 का किला नं.–1 ता 25 की कुल भूमि 6.1990 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा मय खाला का विभाजन करते हुए घरू बंटवारा अनुसार वादी को हिस्सा में प्राप्त किला नं.–6 सालम अनकमाण्ड, 7 सालम कमाण्ड, किला नं.–8 में 14 बिस्वा कमाण्ड इस प्रकार कुल 2 बीघा 14 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सं.–1 ता 4 को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी सं.–1 व 4 की तरफ से श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट व प्रतिवादी सं.–2 व 3 की तरफ से श्री रमेश सोलकी एडवोकेट उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने **प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी** पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि की वसीयत मृतक सुरेणसिंह पुत्र मंगलसिंह ने अपने जीवन काल हम प्रवितादी सं.–1 ता 4 के पक्ष में दिनांक 17.07.2006 को बरूबरू गवाहन दिष्पादित की गई थी। उपरोक्त प्रकरण में दर्ज कृषि भूमि की वसीयत का इन्तकाल की अपील माननीय न्यायालय में जैरकार है। अपील की प्रति सग्लन प्रार्थना पत्र है उपरोक्त वाद पत्र विधि विरूद होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:57 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मौजुदा स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन कि सुरेणसिंह द्वारा ऐसी कोई वसीयत नही की गई है। यदि ऐसी कोई वसीयत होती तो वर्ष 2006 से अब तक 19 वर्षो में उसका रिकॉर्ड पर ना आना ही उक्त वसीयत को फर्जी व कूटरचित होना सिद्ध करती है। जब ऐसी कोई वसीयत है नही तो उसके इन्तकाल का प्रश्न ही उम्पन्न नही होता है प्रतिवादीगण द्वारा फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार किया गया है तथा उक्त अपील तथा उसके मूल प्रार्थना पत्र के वादी को पक्षकार मुकद्मा नही बचाया जाना भी सिद्व करने को पर्याप्त है कि प्रतिवादीगण द्वारा साजिश पूर्वक फर्जी दस्तावेज बनाया गया है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। वादी/प्रार्थी के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं.–1 ता 4 ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि वसीयत मृतक सुरेणसिंह पुत्र मंगलसिंह ने अपने जीवन काल हम प्रवितादी सं.–1 ता 4 के पक्ष में दिनांक 17.07.2006 को बरूबरू गवाहन दिष्पादित की गई थी। उपरोक्त प्रकरण में दर्ज कृषि भूमि की वसीयत का इन्तकाल की अपील माननीय न्यायालय में जैरकार है। वादी का वाद न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है जो पोषणीय नहीं हैं तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय मे पोषणीय नहीं है। वादी का वाद पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय की राय में पत्रावली में प्रतिवादी सं.–1 ता 4 ने विवादित कृषि भूमि मे ऐसा कोई कथित घरेलू बंटवारा का लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही वादी ने अपने वाद पत्र में कंही वर्णित किया है कि कथित घरेलू बंटवारा कब, किस दिनांक, सन को किन पक्षकारो के मध्य निष्पादित किया गया है। वादी को वसीयत सिविल न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए तथा वसीयत के संबंध मे सिविल न्यायालय में अभिगम करना चाहिए। वाद का वाद इस राजस्व न्यायालय में पोषणीय नही है। वादी का हस्तगत वाद पूर्णतयाः Frivolous And Vexatious एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के कारण एवं वाद के विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी सं.–1 ता 4 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण (प्रतिवादी सं.–1 ता 4) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार जाकर वादी का वाद पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 25/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.26 18:28:57 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़